JALAUN POLICE

दिनांक –29.03.2025

श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ महोदय के निर्देशन में ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाने हेतु श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर एवं पुलिस उपमहानिरीक्षक झांसी परिक्षेत्र झांसी के पर्यवेक्षण में पुलिस अधीक्षक जालौन द्वारा सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारों को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

जालौन पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना एवं अचूक साक्ष्य संकलन तथा डीजीसी क्रिमिनल व उनकी टीम, कोर्ट पैरोकार की प्रभावी पैरवी फलस्वरूप 01 अभियोग में 03 अभियुक्तगण को मान0 न्यायालय द्वारा 03-03 वर्ष का कारावास एवं 20,000-20,000/- रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

मुकदमें में सजा पाये अभियुक्त का विवरण निम्नवत है –

प्रकरण प्रथम– अभियुक्तगण 1. अशोक कुमार तिवारी 2. विवेक 3. देवनारायण पुत्रगण रामज्ञान निवासीगण ग्राम दमरास थाना सिरसाकलार जनपद जालौन द्वारा वादी सरजू प्रसाद पुत्र स्व0 बालादीन नि0 सिरसाकलार के साथ कारित की गयी घटना के सम्बन्ध में पीड़ित/ वादी की तहरीर के आधार पर दिनांक 11.10.2012 को थाना सिरसाकलार पर मु0अ0सं0 533/12 (वाद संख्या 204/13) धारा-308/325/324/323/504/506 भादवि के तहत अभियोग पंजीकृत हुआ था। विवेचक द्वारा प्रभावी साक्ष्य संकलन व गवाहो के बयान अंकित करते हुए विवेचना पूर्णकर अभियुक्तगण उपरोक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।

जालौन पुलिस टीम एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुये दिनांक 29.03.2025 को मा0 न्यायालय एडीजे प्रथम कोर्ट उरई जनपद जालौन द्वारा उपरोक्त समस्त अभियुक्तगण को धारा 325/324/323/504/506 भादवि में दोषी पाते हुये 03-03 वर्ष का कारावास एवं 20,000-20,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।